	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
…09/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। उभयपक्षकारान वकील की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible]	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 20 / 2021

पीठासीन अधिकारी– श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण(विप्रार्थी) – 1. चाकर पुत्र अलण 2. सदीक पुत्र अलण
जातियान मुसलमान निवासी बींजासर
तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थी(प्रार्थी) – 1. गुल मोहम्मद पुत्र अलण खां जाति मुसलमान
निवासी बींजासर तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण (विप्रार्थी) वकील – श्री दोष मोहम्मद
विप्रार्थी (प्रार्थी) वकील – श्री मुकीम खान समेजा

निर्णय आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता

दिनांक :– 09.09.2022

उभयपक्षकारान वकील उपस्थित। विप्रार्थी(प्रार्थी) वकील आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करना चाहते है। उन्होने सीधे बहस सुनने का निवेदन किया। उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण (विप्रार्थीगण) वकील ने बहस में कथन किया कि आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिन दशाओं में मंजूर किया जा सकता है वे निम्न प्रकार है–

1. वाद हेतुक को या तो प्रकट ही न किया हो अथवा इसमें गलत तथ्यों का समावेश किया है।
2. अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है।
3. वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया हो।
4. वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो।

इसमें साथ विप्रार्थी (प्रार्थी) का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों गलत तथ्यों का समावेश एवं विधि विरूद्व होना साबित है। विप्रार्थी (प्रार्थी) के द्वारा विप्रार्थी (प्रार्थी) स्वयं के खातेदारी का खेत मौजा बींजासर पटवार क्षेत्र बींजासर भू अभिलेख

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

बींजासर तहसील धनाऊ के खेत खसरा संख्या 1035/105 रकबा 37.09 बीघा किस्म बारानी सोयम एवं प्रार्थी (विप्रार्थी) संख्या 1 का खेत खसरा संख्या 1036/105 रकबा 37.09 बीघा व प्रार्थी (विप्रार्थी) संख्या 2 का खेत खसरा संख्या 1037/105 रकबा 37.10 बीघा किस्म बारानी सोयम की तरमीम दुरस्ती के संबंध में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण (विप्रार्थीगण) व विप्रार्थी (प्रार्थी) के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड़ा होने पर हल्का पटवारी के द्वारा पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम की गई थी जिसमें विप्रार्थी (प्रार्थी) की भी सहमति थी अगर विप्रार्थी (प्रार्थी) उक्त तरमीम से संतुष्ट नहीं था तो उसकी अपील न्यायालय श्रीमान अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर के समक्ष की जानी थी। श्रीमान तहसीलदार सेड़वा के द्वारा किए गए बंटवाड़ा की श्रीमान अपर जिला कलक्टर बाड़मेर के न्यायालय में की जा सकती है। इस प्रकार माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होने से विधि द्वारा बाधित होने से खारीज किए जाने योग्य है। श्रीमान तहसीलदार सेड़वा द्वारा आपसी सहमति से किए गए बंटवाड़े को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान अपर जिला कलक्टर न्यायालय को है विप्रार्थी (प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं हैं। इस प्रकार क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर भी विप्रार्थी (प्रार्थी) का यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अतः विप्रार्थी (प्रार्थी) का प्रार्थना पत्र न केवल गलत तथ्यों पर आधारित है अपितु विधि विरूद्व होने से पोषणीय नहीं हैं। अतः विप्रार्थी (प्रार्थी) का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज फरमाया जावें।

विप्रार्थी (प्रार्थी) वकील ने बहस में कथन किया कि अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि विप्रार्थी (प्रार्थी) के खातेदारी का खेत मौजा बींजासर पटवार क्षेत्र बींजासर भू अभिलेख निरीक्षक बींजासर तहसील धनाऊ के खेत खसरा संख्या 1035/105 रकबा 37.09 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। विप्रार्थी (प्रार्थी) के सेढ़े पर प्रार्थी (विप्रार्थी) संख्या 1 का खेत खसरा संख्या 1036/105 रकबा 37.09 बीघा व प्रार्थी (विप्रार्थी) संख्या 2 का खेत खसरा संख्या 1037/105 रकबा 37.10 बीघा किस्म बारानी सोयम के आये हुए है। विप्रार्थी (प्रार्थी) एवं प्रार्थी (विप्रार्थी) संख्या 1 व 2 के मध्य बंटवाड़ा होने पर राजस्व कर्मचारियों ने अपनी मनमर्जी से मौके

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

...मान के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम न करके गलत तौर पर तरमीम करवा ... तथा विप्रार्थी (प्रार्थी) व प्रार्थीगण (विप्रार्थीगण) का मौके पर कब्जा नक्शे में की गई तरमीम से विपरित है। उक्त गलत तरमीम की आड़ में प्रार्थीगण (विप्रार्थीगण) ने विप्रार्थी (प्रार्थी) के कब्जेशुदा ढाणियां व टांके पर अवैध आधिपत्य करने पर उतारू है। मौके पर विप्रार्थी (प्रार्थी) के कब्जे–काश्त अनुसार तरमीम नहीं की जाकर गलत तरमीम की गई है। प्रार्थीगण (विप्रार्थीगण) ने अधीनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी से मिलकर मनमर्जी से राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम करवा दी तथा विप्रार्थी (प्रार्थी) के कब्जे–काश्त की भूमि को अपनी भूमि में समाहित करते हुए नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम करवा दी जो मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत है। मौके पर विप्रार्थी (प्रार्थी) का कब्जा काश्त नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार उक्त तरमीम गलत होने से खारीज कर पुनः मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार व परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे, जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। विप्रार्थी (प्रार्थी) अनपढ़ व्यक्ति है। जिसे उक्त तरमीम का ज्ञान नहीं हुआ तथा न ही पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी (प्रार्थी) को नोटिस इत्यादि भी दिया गया है। विप्रार्थी (प्रार्थी) का वर्तमान कब्जा काश्त आवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल में दर्शाए अनुसार है। परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए गए बरंग काला की भूमि पर प्रार्थीगण (विप्रार्थीगण) का कब्जा काश्त है और इसी अनुसार प्रार्थीगण (विप्रार्थीगण) एवं विप्रार्थी (प्रार्थी) की तरमीम राजस्व रेकर्ड में पटवारी हल्का को करनी चाहिए थी किंतु पटवारी हल्का ने जहां विप्रार्थी (प्रार्थी) का कब्जा काश्त की भूमि में प्रार्थीगण (विप्रार्थीगण) की तरमीम कर दी जिसे विप्रार्थी (प्रार्थी) शुद्व करवाना चाहते है। आवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' में जो भूमि बरंग लाल के रूप में दर्शायी गई है वहां विप्रार्थी (प्रार्थी) की तरमीम करनी है तथा जो भूमि बरंग काला दर्शायी गई है वहां प्रार्थीगण (विप्रार्थीगण) की तरमीम करनी है जिस हेतु उक्त आवेदन वास्ते तरमीम दुरस्ती का प्रस्तुत है। परिशिष्ट 'अ' को आवेदन का अभिन्न अंग समझा जावें। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि विप्रार्थी (प्रार्थी) के खातेदारी खेत मौजा बींजासर पटवार क्षेत्र बींजासर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बींजासर तहसील धनाऊ के खेत खसरा संख्या 1035/105 रकबा 37.09 बीघा किस्म बारानी सोयम व प्रार्थी (विप्रार्थी) संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 1036/105 ...37.09 बीघा, प्रार्थी (विप्रार्थी) संख्या 2 का खेत खसरा संख्या 1037/105

उपखण्ड अधिकारी संड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

37.10 बीघा के बीच लट्ठा ट्रेस में पूर्व में की गई तरमीम को खारीज कर के पर कब्जा–काश्त व सलंग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये अनुसार दुरस्त करवाने का आदेश फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रेषित तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा विप्रार्थी (प्रार्थी) वकील द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये जिसके आधार पर साबित नहीं होता हैं कि विप्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य हो।

अतः प्रार्थीगण (विप्रार्थीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तथा विप्रार्थी (प्रार्थी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अपोषणीय, सारहीन, गलत एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने होने की वजह से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा